

न्यायालय:- चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 भिण्ड (म.प्र.)

(समक्ष : विकाश शुक्ला)

व्यवहारवाद प्रकरण क0 52ए/2017

F.No. RCS A 219/2017

संस्थापित दिनांक 25.03.2017

रामकेश पुत्र बलराम राठौर उम्र 28 वर्ष
निवासी स्वरूप बिहार कालोनी, स्वतंत्र
नगर के पास एम.जे.एस. कालेज के
सामने वार्ड नं. 36 भिण्ड म0प्र0

आवेदक / वादी

वि रू द्ध

1. श्यामवती उर्फ श्यामादेवी बेवा बलराम उम्र 68 वर्ष
2. हरीकेश पुत्र बलराम राठौर उम्र 35 वर्ष
निवासीगण स्वरूप बिहार कालोनी स्वतंत्र
नगर के पास एम.जे.एस. कालेज के
सामने वार्ड नं. 36 भिण्ड म0प्र0

अनावेदकगण / प्रतिवादीगण

(// आदेश //)

(आज दिनांक **31.01.2018** को पारित किया गया)

1. यह आदेश आवेदक / वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम-1 व 2 सहपठित धारा 151 सीपीसी (आई.ए.नम्बर-1) का निराकरण करेगा।
2. इस प्रकरण में यह तथ्य अविवादित है कि वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 2 सगे भाई तथा वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 2 की प्रतिवादी क्रमांक 1 मां है और उनके पिता बलराम की मृत्यु हो चुकी है।
3. वादपत्र के अभिवचन एवं आवेदन के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी एवं प्रतिवादीगण संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्य होकर हिंदू विधि की बनारस शाखा से शासित होते हैं। नगर पालिका परिसद भिण्ड के वार्ड क्रमांक

36 स्वरूप बिहार कालोनी में 20 गुणा 50 फीट का मकान स्थित है, जिसके संबंध में वादपत्र के साथ नक्शा संलग्न किया गया है। वादी के पिता ने वार्ड क्रमांक 13 में एक प्लॉट क्रय कर पक्का मकान निर्मित किया था। वादी के पिता की मृत्यु के पश्चात उक्त मकान वादी एवं प्रतिवादीगण को उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ, परंतु प्रतिवादी क्रमांक 1 ने संपूर्ण मकान का स्वयं के नाम नामांतरण करा लिया तथा यमुना देवी को पांच लाख रुपये में दिनांक 05.02.2009 को विक्रय कर दिया। उक्त विक्रय प्रतिफल से प्रतिवादी क्रमांक 1 ने वादग्रस्त संपत्ति विक्रय पत्र दिनांक 13.03.2009 के अनुसार क्रय की एवं मकान निर्मित कराया और वादी एवं प्रतिवादीगण वर्तमान में उक्त मकान में निवासरत है तथा वादग्रस्त संपत्ति में वादी का 1/3 भाग है, क्योंकि वादग्रस्त संपत्ति उसके पिता की संपत्ति को विक्रय कर क्रय की गई है। प्रतिवादी क्रमांक 1 बिना किसी कारण के वादग्रस्त संपत्ति को वादी के स्वत्व को समाप्त करने के उद्देश्य से विक्रय करना चाहती है। वादी वादग्रस्त संपत्ति को क्रय करने हेतु भी तैयार है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना वादी के पक्ष में है। अतः वादी ने मय शपथपत्र के यह आवेदन प्रस्तुत कर इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया है कि प्रतिवादीगण विवादित मकान को विक्रय न करें।

4. प्रतिवादी ने संयुक्त रूप से लिखित कथन में वादपत्र के अभिवचन को अस्वीकार करते हुये व्यक्त किया है कि वादग्रस्त संपत्ति प्रतिवादी क्रमांक 1 ने सोने चादी के जेबरात को विक्रय कर क्रय की थी तथा मकान बनाया था। वादग्रस्त संपत्ति पर वादी को कोई अधिकार नहीं है। वादग्रस्त संपत्ति संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति नहीं है। अतः वाद सव्यय निरस्त किये जाने का निवेदन किया है। प्रतिवादीगण ने आवेदन का जवाब प्रस्तुत नहीं किया है।

5. आवेदन के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि—

क्या प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन आवेदक/वादी के

पक्ष में है तथा यदि अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं की गई तो, क्या आवेदक/वादी को अपूर्णनीय क्षति होना संभावित है?

6. वादी का अभिवचन एवं शपथपत्रीय कथन है कि वादग्रस्त संपत्ति प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा उसके पिता की पुरानी संपत्ति जो कि संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति थी, को विक्रय कर क्रय की गई है और उस पर मकान का निर्माण कराया है। प्रतिवादीगण का अभिवचन है कि वादग्रस्त संपत्ति को प्रतिवादी क्रमांक 1 ने अपने जेवर बेचकर क्रय किया है तथा वादग्रस्त संपत्ति पर वादी का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार उभयपक्ष के अभिवचन उपरोक्त तथ्यों के संबंध में परस्पर विरोधाभासी है और उनके आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

7. इस मामले में उभयपक्ष के अभिवचन के आधार पर यह तथ्य अविवादित है कि वादग्रस्त संपत्ति उभयपक्ष के संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति को विक्रय कर क्रय की गई है अथवा प्रतिवादी क्रमांक 1 की स्वअर्जित संपत्ति है और उक्त तथ्य का निराकरण उभयपक्ष की साक्ष्य उपरांत ही किया जाना संभव है। इस प्रकार इस मामले में यह सारभूत सद्भाविक प्रश्न निहित है कि क्या वादग्रस्त संपत्ति संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति को विक्रय कर क्रय की गई है।

8. वादी ने इस मामले में स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता चाही है और स्वत्व के संबंध में उपरोक्त के आधार पर विवादित प्रश्न का निर्धारण उभयपक्ष की साक्ष्य उपरांत ही किया जाना संभव होने से प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में होना पाया जाता है। अतः प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में है।

9. जहाँ तक सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना का प्रश्न है, उपरोक्त विवेचन से प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में होना पाया गया है तथा यदि मामले के लंबन काल में वादग्रस्त संपत्ति का विक्रय किया गया तो वादी को ही क्षति एवं असुविधा होगी और व्यर्थ की मुकदमेबजी

बढेगी। तब ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना भी वादी के पक्ष में होना पायी जाती है। अतः सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति की संभावना भी वादी के पक्ष में है।

10. अतः उपरोक्त दर्शित तथ्य एवं परिस्थितियों में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों सिद्धांत वादी के पक्ष में होने से वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 एवं 2 व्यवहार प्रक्रिया संहिता स्वीकार करते हुये आदेशित किया जाता है कि प्रतिवादीगण मामले के निराकरण तक वादग्रस्त संपत्ति का विक्रय न करे।

(विकाश शुक्ला)

चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
भिण्ड (मध्यप्रदेश)

आदेश आज दिनांक— 31.01.2018 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, दिनांकित एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(विकाश शुक्ला)

चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
भिण्ड (मध्यप्रदेश)